

प्रेस नोट दिनांक 06.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02.03.2021 को हुई प्रापर्टी डीलर की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों आलाकत्ल अवैध असलहा सहित किया गया गिरफ्तार ।

आगामी त्योंहारो एवं त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों को सकुशल संपन्न कराने एवं जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/अपराध इटावा तथा क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में एसओजी इटावा एवं थाना भरथना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02.03.2021 को हुई प्रापर्टी डीलर की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को आलाकत्ल अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.03.2021 को थाना भरथना पुलिस को थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा भरथना में कुछ बदमाशों द्वारा एक युवक को गोली मार देने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी सूचना के आधार पर तत्काल उच्चाधिकारियों एवं थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा गया जिसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया । पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामाभर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पुलिस द्वारा परिवारीजनों से घटना के संबंध में जानकारी की गयी तो परिजनों द्वारा बताया कि मृतक का नाम सरतार सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी बालगूंज थाना भरथना है जो कि पेशे से प्रापर्टी डीलर का काम करता है एवं मृतक के पुत्र अनुराग यादव द्वारा बताया कि मेरे पिता का कुछ व्यक्तियों के साथ जमीनी विवाद चल रहा था शाम को मेरे पिताजी घर के पीछे टहल रहे थे तभी कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको गोली मार दी गयी। उक्त घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 63/21 धारा 147,148,149,302,120 बी भादवि बनाम 07 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में एसओजी एवं थाना भरथना पुलिस से टीमों का गठन कर उक्त प्रकरण से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया था ।

इसी क्रम में गठित टीमों द्वारा इलैक्ट्रानिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर निरंतर कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही थीं जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग अभियान के दौरान थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया । पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से हत्या के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा

बताया गया कि मृतक और हम लोगों में जमीनी रंजिस थी जिसको लेकर हम लोगों ने सरतार सिंह को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना भरथना पर मु0अ0सं0 64/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 65/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विपिन पुत्र कमलेश निवासी नगला दुली थाना ऊसराहार इटावा हाल पता मां अम्बे वाली गली मो0 बालगंज कस्बा व थाना भरथना।
2. कल्लू उर्फ सुनील कुमार पुत्र नरेश चन्द्र निवासी नगला दुली थाना ऊसराहार इटावा हाल पता मां अम्बे वाली गली मो0 बालगंज कस्बा व थाना भरथना।
3. पस्सा उर्फ सुशील पुत्र नरेश चन्द्र निवासी नगला दुली थाना ऊसराहार इटावा हाल पता मां अम्बे वाली गली मो0 बालगंज कस्बा व थाना भरथना।
4. नवीन जैन उर्फ बिल्लू पुत्र स्व0 सुमित कुमार निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना भरथना इटावा।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा देशी 32 बोर
2. 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर
3. 01 अवैध देशी रायफल 315 बोर
4. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम-

प्रथम टीम- उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह यादव प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री वी0के0 सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय टीम- निरी0 श्री नागेन्द्र कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना, व0उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह, का0 अमित कुमार, का0 राहुल यादव, का0 सरताज अहमद।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा